उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा।

नामान्तरण अपील वाद सं०–07/09–10

कृष्णमुरारी पाठक ———— अपीलार्थी

प्रति

किरण वाला कुमारी ———— प्रत्यर्थी

आदेश

प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद अंचल पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा नामान्तरण वाद सं०–1828/09–09 में पारित दिनांक 14.12.2008 के विरूद्ध अपीलार्थी की ओर से लाया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि खाता सं०–39, प्लॉट सं०–57, रकबा–0.05$\frac{1}{8}$ एकड़ भूमि ब्रजकिशोर मिश्रा द्वारा केवाला सं०–3965 दिनांक 03.11.1993 को क्रय कर उक्त भूमि के दखल–कब्जा में आये उनका नामान्तरण हुआ एवं वो नामान्तरण के उपरांत सरकार को मालगुजारी दे कर रसीद प्राप्त करने लगे उन्हों ने उक्त खरीदी गई भूमि पर अपना रिहायसी मकान बनाया और अपनी पत्नी गायत्री मिश्रा के साथ निवास करने लगे। कुछ समय बाद ब्रजकिशोर मिश्रा की मृत्यु हो गई वह संतानहीन थे। ब्रजकिशो मिश्रा के मृत्यु के बाद उनकी उपरोक्त प्लॉट सं०– 57 रकबा–0.05$\frac{1}{8}$ एकड़ भूमि एवं उस पर बने भवन की स्वामीनी ब्रकिशोर मिश्रा की विधवा गायत्री मिश्रा हो गई। गायत्री मिश्रा अपीलार्थी की सगी बहन थी इसलिए अपीलार्थी ही गायत्री मिश्रा का देख–रेख सेवा–टहल आदि किया करते थे। ब्रजकिशोर मिश्रा के मृत्यु के बाद विवादीत भूमि का उतराधिकार नामान्तरण गायत्री मिश्रा के नाम हो गया। इस नामान्तरण का किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया। गायत्री मिश्रा ने सम्पूर्ण विवादीत भूमि एवं उस पर खड़े भवन को अपीलार्थी के सेवा–टहल से प्रसन्न हो कर दिनांक 15.12.2007 को वसियत कर दिया एवं

Scanned with CamScanner

विवादीत भूमि व मकान का कब्जा भी अपीलार्थी को सौंप दिया यहां तक की गायत्री देवी के मृत्यु के बाद उनका सराद क्रम भी अपीलार्थी ने किया एवं कोई दुसरा व्यक्ति सराद क्रम में उपस्थित नहीं हुए। अपीलार्थी का आगे कहना है कि अचानक उसे पता चला की प्रत्यार्थी किरण बाला कुमारी ने अपने नाम ब्रजकिशोर मिश्रा की पुत्री बन कर बना लिया है जो की पूर्णतः गलत तथ्यों पर आधारित है क्योंकि ब्रजकिशोर मिश्रा सतान हीन थे ऐसे में किरण बाला कुमारी स्वयं को पुत्री घोषित कर नामान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत की जिसे बगैर किसी जाँच पड़ताल के टेबुल वर्क करते हुए प्रत्यार्थी का नामांकन कर दिया गया यदि जाँच होता तो विवादित सम्पिती पर अपीलार्थी का दखल–कब्जा पाया जाता क्योंकि की अपीलर्थी इसी उसी भवन में निवास करता है, एवं प्रत्यार्थी का कोई दखल–कब्जा नहीं है क्योंकि प्रत्यार्थी ग्राम–केतात, थाना–विश्रामपुर, जिला–पलामू के निवासी है।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि उसने गायत्री मिश्रा द्वारा दिनांक 1512.2007 को किये गये वसियत का प्रोबेट करनाने हेतु माननीय जिला एवं सत्रन्यायाधीस, गढ़वा के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया हुआ है जिसका प्रोबेट केस सं०–2/2010 है एवं यह केस अभी विचारधीन है।

अपीलार्थी के द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रत्यार्थी ने एक उतराधिकर प्रमाण पत्र न्यायालय को धोखा देकर एवं अपीलार्थी को जानकारी दिये बगैर बनाया है उक्त उतराधिकार प्रमाण पत्र अपीलार्थी के लिए बाधय नहीं है। इस तरह प्रत्यार्थी ब्रजकिशोर मिश्रा/गायत्री मिश्रा की संतान नहीं है एवं इस तरह उतराधिकर नामान्तरण की हकदार भी नहीं है। अतः अपीलार्थी ने अंचल अधिकारी, गढ़वा द्वारा पारित दिनांक 24.12.2008 के आदेश को खारिज करने की प्रार्थना की है।

दुसरी ओर प्रत्यार्थी को कहना है कि अपीलार्थी का अपील आवेदन काल बाधित है एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा द्वारा पारित प्रत्यर्थी के पक्ष में नामान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2008 पूर्णतः नियमित, वैध एवं नामान्तरण की प्रक्रिया से परिपूर्ण है अतः प्रस्तुत अपील खारिज करने योग है। प्रत्यर्थी का आगे कहना है कि वह ब्रजकिशोर मिश्रा एवं गायत्री देवी की एक मात्र पुत्री है एवं उसका प्रश्नगत भूमि एवं भवन पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है एवं स्वामित

Scanned with CamScanner

है प्रत्यार्थी का आगे कहना है वह ब्रज किशोर मिश्रा की दत्तक पुत्री है। एवं ब्रजकिशोर मिश्रा ही उसका विवाह कर कन्या दान किये है इसलिए साथ ही उसके पास गोद ग्रहण का दस्तावेज है अतः अंचल अधिकारी, गढ़वा का आदेश बिल्कुल सही एवं सत्य है एवं हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्षों को सुना एवं कागजातों का अवलोकन किया इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को विवादीत भूमि वसियत के द्वारा प्राप्त है जिसका प्रोबेट वाद मननीय जिला एवं सत्रन्यायाधीस, गढ़वा के न्यायालय में विचाराधिन है। चुकि सक्षम न्यायालय में प्रोबेट वाद विचाराधिन है तथा अपीलार्थी द्वारा दाखिल किया गया गोद ग्रहण का दस्तावेज संध्याहस्पत प्रतित होता है तथा अंचल अधिकारी, गढ़वा द्वारा पारित आदेश देखने से स्पष्ट होता है कि प्रत्यार्थी ने 03.12.2008 को नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र निम्न न्यायालय में दाखिल किया एवं मात्र 21 दिनों में दिनांक 24.12.2008 को बगैर उचित जाँच पड़ता की कार्रवाई किये नामान्तरण आदेश पारित कर दिया गया।

अतः अंचल अधिकारी, गढ़वा द्वारा पारित नामान्तरण वाद सं०–1828/08–09 में दिनांक 24.12.2008 को पारित आदेश अपास्त किया जाता है। एवं प्रस्तुत अपील वाद स्वीकृत की जाती है।

पक्षकार चाहे इसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में जा सकते है।

लेखापित एवं संशोधित

3.9.2020

डप समाहर्त्ता भूमि सुधार
गढ़वा।

3.9.2020

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार
गढ़वा।

Scanned with CamScanner